न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.

मिसल नं. ::: 53/2022

सरकार बनाम ओंकार, रोहताश, गोकल पि. घड़सीराम, जाति–खाती, निवासी– लाडून्दा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 18.05.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान ओंकार, रोहताश, गोकल पि. घड़सीराम, जाति–खाती, निवासी–लाडून्दा द्वारा रोही मौजा लाडून्दा की राजकीय भूमि ख.नं. 215 कुल रकबा 0.90 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.25 है0 भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अपने अतिक्रमण को अस्वीकार करते हुए सीमाज्ञान की मांग की है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया गया। गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 75 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........6........पर
वर्ष 2022-23 में रुपये ....75/.... कायम किए
राजस्व लेखाकार